# महिला सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी विकास

Rajesh Kumar Sharma, Prof.(Dr.) Anant Prasad Gupta
Department of History, Purnea University, Purnea
Corresponding Author: rs29822@gmail.com

**सारांश:** 9 मार्च 2015 को बिहार सरकार ने राज्य महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की ( Times, 2015), जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुख्यधारा के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। यह अध्ययन उन कारकों का विश्लेषण करता है जो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं , तथा बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदमों और **स्वयं सहायता समूहों ( Self Help Groups – SHGs)** की भूमिका को रेखांकित करता है।

महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना न केवल लैंगिक समानता बल्कि सम्पूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। इस विषय को संबोधित करने के लिए एक ऐसे **पर्यावरण/इकोसिस्टम** के विकास की आवश्यकता है , जो विशेष रूप से महिला उद्यमियों और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक हो।

इसके लिए सरकार, व्यवसाय और समाज की **सामूहिक सहभागिता** आवश्यक है, ताकि नौकरी सृजन, पूँजी बाज़ार की लचीलापन, तरलता (Liquidity) और श्रम बाज़ार सुधार जैसी आर्थिक चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

[Sharma, R.K. and Gupta, A.P. **महिला सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी विकास**. *The International Journal of Interpretation, Observation and Analysis*, 2025; Volume 3, Issue 1:261-270 (July-September). ISSN 2349-0713, Peer-reviewed (online/offline), Refereed, Indexed and International Journal (Since 2013), Global Impact Factor: 5.776

**प्रमुख शब्द:** बिहार, सरकार, महिला सशक्तिकरण, पंचायत समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (SHG)

## परिचय

यह शोध बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनाने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण करता है तथा यह समालोचनात्मक दृष्टि से जाँच करता है कि बिहार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना तैयार है। इस शोधपत्र का आधार **द्वितीयक स्रोत** (जैसे कि पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख , पुस्तकों, बिहार सरकार की विभिन्न रिपोर्टों और वेबसाइटों) के अध्ययन तथा **600 स्वयं सहायता समूह ( SHG) सदस्यों** के साथ किए गए गुणात्मक साक्षात्कारों पर रखा गया है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन-से तत्व महिलाओं के सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

यह अध्ययन बिहार में महिला सशक्तिकरण की विभिन्न **आयामों, मॉडलों** और **पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण** की पहल का भी आलोचनात्मक परीक्षण करता है। इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार , गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग आवश्यक है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को एक साथ संबोधित करने के द्वारा सरकार महिलाओं के लिए एक अधिक **समावेशी और न्यायसंगत समाज** का निर्माण कर सकती है। बिहार में महिला विकास का स्वरूप बहुआयामी है और यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों की जटिल अंतःक्रिया से जुड़ा हुआ है। इन कारकों को

समझना और उन पर कार्य करना व्यापक प्रगति के लिए अनिवार्य है।

यह सराहनीय है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं। प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:

- **पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों में 50% आरक्षण**
- **मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना**
- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना**
- **राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण**
- **महिला उद्यमिता हेतु □ 10 लाख का ब्याजमुक्त ऋण योजना**
- **प्रखंड स्तर एवं पुलिस थानों में 35% पदों पर महिला प्रशासनिक प्रमुखों की नियुक्ति**

ये सभी पहलें सामूहिक रूप से महिलाओं के **राजनीतिक सहभागिता , शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व क्षमता** जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं। इन योजनाओं की सफलता के लिए **प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता और निरंतर सहयोग** आवश्यक है। साथ ही , समय-समय पर मूल्यांकन ( Periodic Assessments) करके इनके प्रभाव को और बेहतर बनाने की दिशा में सुधार किया जा सकता है (IWWAGE, 2020)।

## साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

संयुक्त राष्ट्र (Boutros-Ghali, 1996) के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है , क्योंकि इससे उनके लिए नए रोज़गार अवसर खुलेंगे और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की दिशा में गति मिलेगी।

इसके अतिरिक्त , यह भी माना गया कि विकासशील देशों की महिलाओं को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना किसी भी दीर्घकालिक विकास योजना का अनिवार्य हिस्सा है।

तेहरान प्रस्ताव (1963) ने भी इस बात पर बल दिया था कि विकासशील देशों की महिलाओं को तकनीकी विस्तार उपलब्ध कराना दीर्घकालिक और एकीकृत विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण घटक है।

कोफी अन्नान ( 2016) ने कहा कि *"महिला सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी विकास का कोई उपकरण नहीं है।"* यह कथन महिलाओं की भूमिका को केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित न रखकर व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत करता है।

भारत में भले ही महिलाओं की औपचारिक कार्यबल में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है , लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएँ कृषि , असंगठित क्षेत्र तथा छोटे पैमाने के व्यवसायों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इसके बावजूद , औपचारिक रोजगार से वंचित रहने के कारण वे आर्थिक असमानता और सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करती हैं (Institute, 2023)।

आर्थिक सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल महिलाओं को उनके अधिकार और कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है बल्कि घरेलू गरीबी को कम करने , शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने तथा समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने का सशक्त उपकरण भी है (Corporation, 2023)।

## अध्ययन का महत्व एवं वक्तव्य ( Significance and Statement of Study)

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। बिहार सरकार भी इस दिशा में प्रतिबद्ध है।

**सशक्तिकरण का तात्पर्य** है—व्यक्तियों को ऐसे संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना जिससे वे अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकें।

बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए गए हैं, फिर भी वहाँ निम्नलिखित चुनौतियाँ मौजूद हैं:

- लिंग आधारित नीतिगत असमानताएँ
- शिक्षा की कमी
- लैंगिक रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचा
- बाल विवाह की उच्च दर

सूक्ष्म ऋण ( Micro Credit) जैसी पहलें गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए बिहार में महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति और उसके लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन करना आवश्यक है।

**शोध के उद्देश्य (Research Objectives)**

1. यह अध्ययन करना कि बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएँ महिलाओं की स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं।
2. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की प्रभावशीलता की जाँच करना।

**शोध परिकल्पना (Research Hypothesis)**

- **H1:** बिहार सरकार की नीतियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाभकारी हैं।
- **H0:** बिहार सरकार की नीतियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाभकारी नहीं हैं।
- **H2:** बिहार सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रभावी रूप से लागू कर रही है।
- **H20:** बिहार सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रभावी रूप से लागू नहीं कर रही है।

यह अध्ययन **मिश्रित शोध पद्धति ( Mixed-Method Research Approach)** को अपनाता है, जिसमें **गुणात्मक ( Qualitative)** तथा **मात्रात्मक ( Quantitative)** दोनों प्रकार की विधियों का उपयोग किया गया है।

**1. गुणात्मक शोध (Qualitative Research)**

- महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए **द्वितीयक स्रोतों ( Secondary Sources)** का प्रयोग किया गया।
- जानकारी मुख्यतः बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट , नीतिगत दस्तावेज़ों, प्रकाशित रिपोर्टों तथा प्रासंगिक शैक्षणिक साहित्य से एकत्रित की गई।
- इस भाग का उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों , योजनाओं तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ को समझना है।

**2. मात्रात्मक शोध ( Quantitative Research)**

- बिहार के **सहरसा ज़िले** की **600 महिला सदस्यों** (जो **स्वयं सहायता समूह / Self Help Groups – SHGs** से जुड़ी हैं) पर सर्वेक्षण किया गया।
- इस सर्वेक्षण के माध्यम से निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी एकत्रित की गई :

- सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति,
- संसाधनों तक पहुँच,
- सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता,
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी।

- एकत्रित आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके यह मूल्यांकन किया जाएगा कि बिहार सरकार की नीतियाँ तथा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है।

**H1:** *बिहार सरकार की नीतियाँ महिला सशक्तिकरण के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं।*

**तालिका संख्या 1: ब्लॉकवार प्रश्नावली वितरण एवं प्रत्युत्तर स्थिति**

| ज़िला | प्रखंड (Block) | कुल SHGs | प्रश्नावली वितरित | प्रश्नावली प्राप्त (Responded) |
|---|---|---|---|---|
| सहरसा | सोनबरसा | 2798 | 150 | 120 |
| | सौरबाज़ार | 3052 | 250 | 180 |
| | पतरघाट | 1688 | 150 | 125 |
| | नौहट्टा | 1896 | 200 | 125 |
| | सलखुआ | 1738 | 100 | 50 |
| **कुल** | — | — | **850** | **600** |

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि:

- सहरसा ज़िले के पाँच प्रखंडों (सोनबरसा, सौरबाज़ार, पतरघाट, नौहट्टा, और सलखुआ) में कुल **850 प्रश्नावलियाँ** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वितरित की गईं।
- इनमें से कुल **600 प्रश्नावलियाँ प्राप्त (Responded)** हुईं, अर्थात् औसतन **70.6% प्रत्युत्तर दर** रही।
- सबसे अधिक प्रत्युत्तर **सौरबाज़ार प्रखंड** से मिला ( 180), जबकि सबसे कम प्रत्युत्तर **सलखुआ प्रखंड** से ( 50) प्राप्त हुआ।

इस प्रकार , प्राप्त डेटा यह इंगित करता है कि बिहार सरकार की नीतियों के प्रभाव के आकलन हेतु पर्याप्त संख्या में महिला SHGs की भागीदारी सुनिश्चित की गई , जिससे परिकल्पना H1 की जाँच करना संभव है।

**तालिका संख्या 2: नमूना SHG सदस्यों की प्रोफ़ाइल (जनसांख्यिकीय विवरण)**

| आयु वर्ग (वर्षों में) | सदस्यों की संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| 18–29 | 198 | 33.0 |
| 30–39 | 190 | 32.0 |
| 40–49 | 102 | 17.0 |
| 50–59 | 72 | 12.0 |
| 60 से अधिक | 38 | 6.6 |

| आयु वर्ग (वर्षों में) | सदस्यों की संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| कुल | 600 | 100 |

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल **600 महिला उत्तरदाताओं** में:

- **33%** महिलाएँ 18–29 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं।
- **32%** महिलाएँ 30–39 वर्ष की आयु वर्ग में हैं।
- **17%** महिलाएँ 40–49 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं।
- **12%** महिलाएँ 50–59 वर्ष की आयु वर्ग में हैं।
- शेष **6.6%** महिलाएँ 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि **अधिकांश उत्तरदाता 18–40 वर्ष की आयु वर्ग** में आते हैं। यह आयु वर्ग सामाजिक , आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

**तालिका संख्या 3: सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं पर प्रभाव का स्तर**

| क्र. सं. | कथन (Statements) | सहमत (Agree) | तटस्थ (Neutral) | असहमत (Disagree) | कुल (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सूक्ष्म वित्त ने गरीबी कम करने में सहायता की | 426 (70%) | 100 | 74 | 600 |
| 2 | सूक्ष्म वित्त ने आय स्तर में सुधार किया | 438 (73%) | 80 | 82 | 600 |
| 3 | सूक्ष्म वित्त ने उपभोग स्तर में सुधार किया | 420 (70%) | 160 | 20 | 600 |
| 4 | सूक्ष्म वित्त ने सामाजिक स्थिति में सुधार किया | 420 (70%) | 150 | 30 | 600 |
| 5 | सूक्ष्म वित्त ने सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाई | 438 (73%) | 100 | 62 | 600 |
| 6 | सूक्ष्म वित्त ने बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ाया | 420 (70%) | 160 | 20 | 600 |
| 7 | सूक्ष्म वित्त ने उधारकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ाया | 450 (75%) | 150 | – | 600 |
| 8 | सूक्ष्म वित्त ने निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि की | 450 (75%) | 100 | 50 | 600 |
| 9 | सूक्ष्म वित्त ने परिवार में मान्यता (Recognition) बढ़ाई | 420 (70%) | 180 | – | 600 |

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि:

- **70% से अधिक उत्तरदाताओं** का मानना है कि सूक्ष्म वित्त ( Micro Credit) ने गरीबी घटाने , आय एवं उपभोग स्तर

सुधारने, सामाजिक स्थिति एवं परिवारिक मान्यता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- लगभग **73–75% उत्तरदाताओं** ने स्वीकार किया कि सूक्ष्म ऋण ने **निर्णय लेने की क्षमता , आत्मविश्वास तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता** को बढ़ावा दिया है।
- हालांकि, कुछ उत्तरदाता तटस्थ या असहमत भी रहे , विशेषकर **आय स्तर (82 असहमत)** और **सामाजिक जागरूकता (62 असहमत)** जैसे पहलुओं पर।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म ऋण ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है , बल्कि उनके **सामाजिक मान-सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता** को भी मजबूत बनाया है।
यह दर्शाता है कि **SHGs (स्वयं सहायता समूह)** ग्रामीण बिहार की महिलाओं के **आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण** में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

**H2: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कार्यान्वयन (बिहार सरकार)**

**दृष्टिकोण (Approach)**

इस अध्ययन में **द्वितीयक आंकड़ों ( Secondary Data Sources)** का प्रयोग किया गया है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट तथा साहसरा (Saharsa) जिले की पंचायत समितियों ( PRI Databases) से आंकड़े संकलित कर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया।

**सैम्पलिंग तकनीक (Sampling Technique)**

भारत के संविधान का **73वाँ संशोधन ( 1992)** महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसका उद्देश्य था:

- **जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण** (Decentralization of Power)
- **ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देना** (Grassroots Democracy)
- **निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना**

महिलाओं के लिए **आरक्षण का प्रावधान** इस संशोधन का सबसे बड़ा योगदान था , जिसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानताओं (Gender Disparities) को कम करने और **ग्राम स्तर पर महिलाओं को सशक्त** बनाने का कार्य किया।

**बिहार का विशेष संदर्भ**

- बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ **महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण** दिया गया है।
- शिक्षा विभाग में यह **कोटा 50%** है।
- इसके अतिरिक्त, **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी निकायों ( Urban Bodies)** में भी महिलाओं को **50% आरक्षण** प्रदान किया गया है।

**अध्ययन का डाटा दायरा (Data Scope of the Study)**

- इस शोध के लिए द्वितीयक आंकड़े **2018–19 से 2022–23** की अवधि तक संकलित किए गए।

- अध्ययन विशेष रूप से **साहसरा जिले की पंचायत समितियों** के आंकड़ों पर आधारित है।
- इसमें **सभी पंचायत समितियों के डेटा** का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया गया कि महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व किस हद तक बढ़ा है।

**तालिका 2: साहसरा जिले की पंचायत समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (2018–19 से 2022–23)**

| वर्ष | पंचायत समितियों की कुल सीटें | महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें (50%) | निर्वाचित महिला प्रतिनिधि | प्रतिनिधित्व का प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | 420 | 210 | 198 | 47.1% |
| 2019–20 | 420 | 210 | 205 | 48.8% |
| 2020–21 | 420 | 210 | 212 | 50.5% |
| 2021–22 | 420 | 210 | 218 | 51.9% |
| 2022–23 | 420 | 210 | 220 | 52.4% |

- तालिका से स्पष्ट है कि **2018–19 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 47% था**, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए **2022–23 तक 52%** हो गया।
- यह वृद्धि दर्शाती है कि **50% आरक्षण नीति प्रभावी रूप से लागू हुई है** और इसका सीधा लाभ महिलाओं के **राजनीतिक सशक्तिकरण** में दिखाई दे रहा है।
- महिलाओं की भागीदारी अब केवल *आरक्षण तक सीमित* नहीं रही , बल्कि वास्तविक चुनावी प्रतिस्पर्धा में भी वे अधिक सफल हो रही हैं।

**तालिका 4: साहसरा जिला पंचायत समितियाँ**

| क्रम संख्या | पंचायत समिति का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या | कुल गाँव | कुल वार्ड | महिला मुखिया | कुल निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित महिला सदस्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बनमा ईटहरी | 7 | 18 | 106 | 04 | 229 | 124 |
| 2 | कहरा | 12 | 41 | 139 | 06 | 251 | 167 |
| 3 | महिषी | 19 | 84 | 249 | 11 | 453 | 242 |
| 4 | नौहट्टा | 12 | 51 | 172 | 08 | 375 | 213 |
| 5 | पतरघट | 11 | 18 | 167 | 05 | 342 | 193 |
| 6 | सलखुआ | 11 | 43 | 156 | 07 | 249 | 148 |
| 7 | सत्त र कटैया | 14 | 38 | 186 | 08 | 379 | 192 |
| 8 | सिमरी बख्तियारपुर | 20 | 55 | 265 | 10 | 573 | 296 |

| क्रम संख्या | पंचायत समिति का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या | कुल गाँव | कुल वार्ड | महिला मुखिया | कुल निर्वाचित सदस्य | निर्वाचित महिला सदस्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | सोनवर्षा | 19 | 56 | 248 | 12 | 525 | 299 |
| 10 | सौर बाजार | 16 | 55 | 226 | 09 | 464 | 246 |
| **कुल** | **141** | **459** | **1914** | **80** | **3840** | **2120** | |

**व्याख्या (Interpretation)**

- साहसरा जिले में कुल **10 पंचायत समितियाँ** हैं।
- इनके अंतर्गत कुल **141 ग्राम पंचायतें**, **459 गाँव** और **1914 वार्ड** आते हैं।
- कुल **141 पंचायतों में से 80 महिला मुखिया** चुनी गई हैं।
- पंचायत समितियों के अंतर्गत कुल **3840 निर्वाचित सदस्य** हैं, जिनमें से **2120 महिलाएँ** हैं।
- इसका अर्थ है कि पंचायत प्रतिनिधियों में **लगभग 55% महिलाएँ** सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
- यह आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया **50% आरक्षण प्रावधान** ज़मीनी स्तर पर सफल साबित हो रहा है।
- महिला प्रतिनिधित्व न केवल *मुखिया स्तर पर* बढ़ा है, बल्कि *सदस्य स्तर पर भी आधे से अधिक* महिलाएँ चुनी गई हैं।
- इससे यह सिद्ध होता है कि **साहसरा जिला पंचायत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सशक्त और प्रभावी है**।
- महिलाओं का यह बढ़ता प्रतिनिधित्व न केवल **निर्णय लेने की प्रक्रिया** को लोकतांत्रिक बना रहा है , बल्कि **सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण** की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।

**निष्कर्ष (Findings)**

जिला पंचायत समितियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि:

- कुल पंचायत प्रतिनिधियों में **57% महिला मुखिया** और **55% वार्ड सदस्य महिलाएँ** हैं।
- यह तथ्य सिद्ध करता है कि **परिकल्पना H2: "बिहार सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर रही है "** को स्वीकार किया जा सकता है।

**चुनौतियाँ और अवसर ( Challenges and Opportunities)**

बिहार में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया कई बाधाओं से घिरी हुई है:

1. **लैंगिक रूढ़िवादिता ( Gender Stereotypes)** – महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित मानने की मानसिकता।
2. **पितृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचा (Patriarchal Norms)** – निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों तक सीमित होना।

3. **जातिगत संरचना ( Caste System)** – निम्न वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अतिरिक्त अवरोध।

4. **बाल विवाह ( Child Marriage)** – लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव।

हालाँकि, पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि:

- उन्हें **स्थानीय शासन और नीतिनिर्माण में सक्रिय भूमिका** निभाने का अवसर मिल रहा है।
- यह कदम **सामाजिक न्याय , समानता और लोकतंत्र** को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
- यदि संरचनात्मक सुधार , लैंगिक संवेदनशील नीतियाँ और **महिला-केंद्रित योजनाओं पर अधिक बजटीय आवंटन** किया जाए , तो बिहार में महिला सशक्तिकरण और भी प्रभावी हो सकता है।

**सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन (Government Initiatives and Policy Support)**

बिहार सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य **शासन में भागीदारी , शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक विकास** को बढ़ावा देना है। इनमें प्रमुख हैं:

1. **मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना** – माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराकर विद्यालय तक पहुँच सुलभ बनाना।
2. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना** – महिला स्व-सहायता समूहों ( SHGs) और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
3. **राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण** – महिलाओं को सरकारी सेवा में अधिक अवसर उपलब्ध कराना।
4. **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** – *Conditional Cash Transfer Program* जिसके तहत बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक शिक्षा के हर चरण पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है (Times, 2015)।

इन योजनाओं के माध्यम से बिहार सरकार महिलाओं के **शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण** की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

**केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और राज्य स्तरीय पहल (Centrally Sponsored Schemes and State-level Initiatives)**

बिहार में महिला सशक्तिकरण केवल राज्य सरकार की योजनाओं तक सीमित नहीं है , बल्कि केंद्र सरकार की कई योजनाएँ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

1. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( PMUY, 2024)**
    - गरीब परिवारों ( BPL) की महिलाओं को **निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन** उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
    - बिहार में इस योजना के अंतर्गत अब तक **101 लाख एलपीजी कनेक्शन** जारी किए जा चुके हैं।
    - केवल **साहसरा जिले (Saharsa District)** में ही कुल **2,20,314 कनेक्शन** वितरित किए गए हैं।

- इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को **धुएँ से होने वाले स्वास्थ्य खतरों** से बचाने और **स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच** बढ़ाने में मदद की है।

2. **दूध सहकारी समितियाँ – COMFED (Sudha Dairy)**
   - **बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED)**, जिसे *सुधा डेयरी* के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण महिलाओं को **आर्थिक आत्मनिर्भरता** की दिशा में अवसर उपलब्ध करा रहा है।
   - राज्य में कुल **2,902 महिला-विशिष्ट दुग्ध सहकारी समितियाँ (Women-only Dairy Cooperatives)** स्थापित की गई हैं (Change's, 2019)।
   - यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की **कार्यबल सहभागिता ( Workforce Participation)** और **आय सृजन (Income Generation)** को प्रोत्साहित कर रही है।
   - इसके माध्यम से महिलाएँ केवल **दुग्ध उत्पादन और विपणन** में ही नहीं , बल्कि **संगठनात्मक नेतृत्व और सहकारिता प्रबंधन** में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

**संदर्भ सूची (References)**


- Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. (2024, January). *PMUY : Home*. Ministry of Petroleum and Natural Gas. Retrieved January 05, 2024.
- Annan, K. (2016). *Women Development*. New York, NY: United Nations.
- Boutros-Ghali, B. (1996). *The United Nations and The Advancement of Women*. New York, NY: United Nations.
- Centre for Catalyzing Change's. (2019). *Women & Girls in Bihar: Gender Report Card*. Patna: Centre for Catalyzing Change's.
- Women & Child Development Corporation. (2023). *Women & Child Development Corporation*. Patna: Women & Child Development Corporation.
- Asian Development Bank Institute. (2023). *Women's Economic Empowerment as a Pathway Toward Sustainable and Inclusive Development in India*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- IWWAGE. (2020). *Policies and Programmes for Women and Girl Bihar*. New Delhi: IWWAGE.
- Tewary, A. (2023, September 20). *Bihar shows the way to Centre for women's reservation Bill*. The Hindu. Retrieved January 4, 2024.
- Times of India. (2015, March 09). *Bihar to declare 'Women empowerment policy'*. Hindustan Times. Retrieved January 03, 2024.